<u>न्यायालय : अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 बाड़मेर,</u>

<u>जिला बाड़मेर (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी :– डॉ॰ सिम्पल शर्मा, जिला न्यायाधीश संवर्ग

दीवानी विविध प्रकरण संख्या :– 02 / 2026

सी॰आई॰एस॰ नंबर :– 03 / 2026

1. नरपत पुत्र वीराराम, उम्र 30 वर्ष, निवासी धोरीमना तहसील व पुलिस थाना धोरीमना, जिला बाड़मेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. चांदनी पत्नी नरपत, उम्र 28 वर्ष
2. कमलेश पुत्र भागीरथ, उम्र 25 वर्ष

हाल निवासी गौड़ा तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर

..... विप्रार्थीगण

:: अंतरिम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 12 संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अंतर्गत नाबालिग की अभिरक्षा हेतु प्रार्थना–पत्र ::

उपस्थित :–

1. श्री लाखाराम साहु, विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. विप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

<u>:: आदेश ::</u> दिनांक : 06.04.2026

1. प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 7 व 12 संरक्षक व प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के तहत न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को मूल आवेदन में सफलता मिलने की संभावना है।

2. प्रार्थी का विवाह वर्ष 2008 में विप्रार्थीनी संख्या 1 चांदनी के साथ हिन्दू विधि के रीति–रिवाज अनुसार मौजिज लोगों व परिजनों के रूबरू विधि–विधान से हुआ तथा उसके उपरांत प्रार्थी के तीन संतान स्वरूप, प्रवीण व मोती का जन्म हुआ, जिनकी वर्तमान में उम्र क्रमशः 13 वर्ष, 10 वर्ष व 08 वर्ष है। प्रार्थी व चांदनी के मध्य विवाह के बाद कुछ समय तक शांतिपूर्वक जीवनयापन चला, परंतु वर्तमान में काफी समय पर्वू से चांदनी का स्वभाव चिड़चिड़ा, झगड़ालू व उग्र हो गया तथा चांदनी बात–बात पर प्रार्थी व उसके परिजनों से झगड़ा करती थी तथा प्रार्थी के साथ शारीरिक क्रूरता कारित कर प्रार्थी को तंग व परेशान करती रहती थी, परंतु प्रार्थी ने अपने परिवार को बचाने के लिए विप्रार्थीनी के अत्याचार सहन किए तथा चांदनी हर समय घर में क्लेशमय वातावरण बनाए रखती। प्रार्थी को धमकी देती कि उसने ज्यादा समझाईश करने का प्रयास किया तो वह उसके ऊपर दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भिजवा देगी। आज से करीब दो वर्ष पूर्व चांदनी प्रार्थी के साथ झगड़ा कर अपना समस्त गहना लेकर नाबालिग मासूम बच्चे स्वरूप को छोड़कर प्रवीण व मोती को अपने साथ लेकर प्रार्थी के सगे भाणेज कमलेश पुत्र भागीरथ निवासी गौड़ा के साथ चली गई तथा उसके बाद विप्रार्थीनी संख्या 1 चांदनी ने प्रार्थी को बिना विधिवत तलाक दिए ही दूसरी शादी कमलेश के साथ आर्य समाज में कर ली तथा वर्तमान में विप्रार्थीनी संख्या 1 चांदनी अपने पति कमलेश विप्रार्थी संख्या 2 के साथ जीवनयापन कर रही है, जबकि प्रार्थी के पुत्र कमलेश की राह में तो कांटे होंगे तथा इसलिए कमलेश अयाशीपूर्ण जीवन जीने के लिए कभी भी प्रार्थी को बच्चों को मार सकता है। दोनों पुत्र प्रवीण व मोती को अपने साथ रखा हुआ है तथा विप्रार्थीनी संख्या 1 स्वयं जारतापूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है तथा प्रार्थी के दोनों बच्चों को गलत रूप से अपने साथ रखा हुआ है तथा प्रार्थी के दोनों बच्चों को किसी प्रकार का अध्ययन वगैरा नहीं करवा रही है तथा दिन भर घर घर का काम करवाती है, समय पर खाना–पानी भी नहीं देती है तथा विप्रार्थीगण बच्चों के साथ मारपीट करते हैं तथा बच्चों के भविष्य को अंधेरे की ओर धकेल रहे हैं। यहां तक कि प्रार्थी को यह जानकारी मिली है कि

विप्रार्थीगण पूरा–पूरा दिन दोनों बच्चों को कमरे में बंद रखते हैं।

3. प्रार्थी के पुत्र प्रवीण व मोती का प्रार्थी नैसर्गिक पिता है। कानूनन पुत्र प्रवीण व मोती की अभिरक्षा पिता प्रार्थी के पास दी जानी चाहिए, क्योंकि प्रवीण व मोती को पिता प्यार व वात्सल्य की सख्त आवश्यकता है। प्रार्थी अपने पुत्रों को पूर्ण प्यार, दुलार, पालन–पोषण कर उन्हें अच्छी शिक्षा देकर उनका भविष्य उज्जवल बनाना चाहता है। दोनों बच्चों का विप्रार्थीनी व उसके पति के साथ रहने से उनके चरित्र व स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मूल प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है, इसलिए मूल प्रकरण के निस्तारण होने तक उक्त नाबालिग पुत्रों प्रवीण व मोती की अभिरक्षा को प्रार्थी को दिलवाया जाना न्यायोचित है।

4. अंत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण से प्रार्थी के मासूम, अबोध, नाबालिग पुत्र प्रवीण उम्र 10 वर्ष व मोती उम्र 08 वर्ष को मंगवाया जाकर प्रार्थी नरपत को अंतरिम अभिरक्षा दिलवए जाने का निवेदन किया।

5. प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर विप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया, जिस पर विप्रार्थी के अधिवक्ता मांगीलाल जयपाल दिनांक 12.03.2026 को उपस्थित आए तथा जिन्हें जवाब हेतु अवसर दिया गया। दिनांक 27.03.2026 को विप्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता दोनों अनुपस्थित रहे तथा विप्रार्थीगण व अधिवक्ता विप्रार्थीगण को बार–बार आवाजें लगाए जाने के बावजूद बेवजह गैर–हाजिर रहने पर विप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. प्रार्थी की बहस अंतिम एकतरफा सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के दोनों पुत्रों प्रवीण व मोती की अंतरिम तौर पर अभिरक्षा प्रार्थी को दिलवाए जाने का निवेदन किया।

7. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में यह कथन किए हैं कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीनी संख्या 1 का विवाह वर्ष 2008 में हिन्दू रीति–रिवाज अनुसार हुआ था। विवाह के उपरांत प्रार्थी के तीन संतान स्वरूप, प्रवीण व मोती का जन्म हुआ, जिनकी वर्तमान में उम्र क्रमशः 13 वर्ष, 10 वर्ष व 08 वर्ष है। वर्तमान में विप्रार्थीनी संख्या 1 चांदनी का स्वभाव चिड़चिड़ा, झगड़ालू व उग्र हो गया तथा विप्रार्थीनी संख्या 1 बात–बात पर प्रार्थी के परिवार से झगड़ा करती थी तथा प्रार्थी को तंग व परेशान करती थी। प्रार्थी के ऊपर दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देती। दो वर्ष पूर्व विप्रार्थीनी संख्या 1 चांदनी प्रार्थी के साथ झगड़ा कर अपना समस्त गहना लेकर, नाबालिग मासूम बच्चे स्वरूप को छोड़क तथा प्रवीण व मोती को अपने साथ लेकर प्रार्थी के सगे भाणेज कमलेश के साथ चली तथा प्रार्थी को बिना विधिवत तलाक दिए विप्रार्थी संख्या 2 कमलेश के साथ दूसरी शादी कर वर्तमान में कमलेश के साथ जीवनयापन कर रही है। विप्रार्थीनी संख्या 1 जरतापूर्वक जीवन व्यतीत कर रही है तथा प्रार्थी के दोनों बच्चों को गलत रूप से अपने साथ रखा हुआ है। विप्रार्थीनी संख्या 1 प्रार्थी के दोनों बच्चों को अध्ययन नहीं करवा रही है तथा दिन भर घर का काम करवाती है। विप्रार्थीगण प्रार्थी के दोनों पुत्रों प्रवीण व मोती के साथ मारपीट करते है तथा उन्हें पूरे–पूरे दिन कमरे में बंद रखते हैं। प्रार्थी अपने दोनों पुत्रों का नैसर्गित पिता है। प्रार्थी अपने दोनों पुत्रों प्रवीण व मोती को विप्रार्थीगण से प्राप्त कर, उनका पूर्ण प्यार व दुलार से पालन–पोषण कर उन्हें अच्छी शिक्षा देकर उनका भविष्य उज्जवल बनाना चाहता है। अतः मूल प्रकरण के निस्तारण तक उक्त नाबालिग प्रवीण व मोती की अभिरक्षा प्रार्थी को दिलवाई जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र के खण्डन में न तो विप्रार्थीगण उपस्थित आए है, न ही उनकी ओर से कोई जवाब पेश हुआ है, जिस पर न्यायालय द्वारा विप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रार्थी द्वारा अंतरिम प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत समस्त कथन अखण्डित रहे हैं। चूंकि प्रार्थी द्वारा अपने दोनों लड़कों प्रवीण व मोती की अभिरक्षा चाही गई है, जिनकी उम्र क्रमशः 10 वर्ष व 08 वर्ष है,

इसलिए प्रार्थी को अपने दोनों पुत्र प्रवीण व मोती का नैसर्गिक पिता होने के नाते उनकी अभिरक्षा दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः प्रार्थी का अंतरिम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 12 संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत नाबालिग की अभिरक्षा बाबत् स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को उसके अवयस्क पुत्र प्रवीण व मोती की अभिरक्षा मूल प्रार्थना–पत्र के निस्तारण तक प्रदान की जाती है।

(डॉ॰ सिम्पल शर्मा)

9. आदेश आज दिनांक 06.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ॰ सिम्पल शर्मा)